

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

F 191

क्रमांक प.4(36) वित्त/राजस्व/96 पार्ट-II

जयपुर, दिनांक

16 DEC 2010

—: अधिसूचना :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 को और संशोधित करने के लिये इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :—

- (i) इन नियमों का नाम राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा (संशोधन) नियम 2010 है।
- (ii) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियमों का संशोधन :—

- (i) राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम-2(ग) “परिभाषा”
- (g) में “अपर” एवं “उप” के मध्य “संयुक्त” Insert किया जाता है।
- (ii) राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम 22 (2)(ii) में “अपर निदेशक” के पश्चात् “संयुक्त निदेशक” जोड़ा जाता है।

DD (90)

Supo AM
2/10

राज्यपाल की आज्ञा से,

विशेषाधिकारी
वित्त(पेंशन/बीमा) विभाग

क्रमशः -2-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
3. निजी सचिव, माननीय बीमा राज्यमंत्री राजस्थान।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय।
8. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त(व्यय)विभाग।
9. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलेक्टर
10. आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग राजस्थान, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी




वित्त(बीमा / पेंशन)विभाग

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर / जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान सिविल सर्विसेज अपिलेट द्रीब्यूनल, जयपुर।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

विशेषाधिकारी



वित्त(बीमा / पेंशन)विभाग